

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



क्रमांक: एफ/सम्बद्धता/2019/

6298

प्राप्त : वृत्तीकरणी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (बिहार)
फँक्स : (0091-0751-2341768)
E-mail : jiwajidcdc@gmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

दिनांक : 28-09-2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल एवं 26 अप्रैल 2019 की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 जून 2019 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार **JAGADGURU SHANKRACHARYA SHIKSHA COLLEGE, BHIND** को सत्र 2019-20 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

**JAGADGURU SHANKRACHARYA
SHIKSHA COLLEGE, BHIND**

B.ED.

100

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

आदेशानुसार

कुलसचिव

नोटिस:-

- उक्त कार्यवाही 30 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करें, अन्यथा सब्र 2020-21 की सम्बद्धता प्रदान की जाना रामबद्ध नहीं होगा।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत विद्युक्त शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी रात्र में निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ दिये गये प्रोफार्मा में मध्य चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंट द्वारा विद्युक्त शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्मा में भर कर प्रस्तुत करनी होगी तभी महाविद्यालय को आगामी रात्र की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जायेगा।

प्रति,

1. प्राचार्य, JAGADGURU SHANKRACHARYA SHIKSHA COLLEGE, BHIND
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, गोतीमहल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसाधिक (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्